सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1. अपील संख्याः 45/15 **निर्णय दिनांकः— 18.05.2018**

1. श्री दौलतराम पुत्र श्री किरताराम जाति जाट निवासी सारूंडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. श्री माणकचन्द पिसरान लिखमीचन्द जाति चौरड़िया निवासी
2. श्री पूनमचन्द नोखा अस्थाई जलगांव (महाराष्ट्र)।
3. श्री मोहनराम पुत्र किरताराम जाति जाट निवासी सारूंडा तहसील नोखा।
4. मु. रामी देवी पत्नी पेमाराम जाति जाट निवासी सारूंडा तहसील नोखा।
5. मु. झमकू देवी पत्नी फूसाराम जाति जाट निवासी सारूंडा तहसील नोखा।
6. मु. चम्पादेवी पत्नी लालचन्द जाति चौरड़िया निवासी तहसील नोखा।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 06—05—2015
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

2. अपील संख्याः 66/15

1. श्री दौलतराम पुत्र श्री किरताराम जाति जाट निवासी सारूंडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. श्री माणकचन्द पिसरान लिखमीचन्द जाति चौरड़िया निवासी
2. श्री पूनमचन्द नोखा अस्थाई जलगांव (महाराष्ट्र)।
3. श्री मोहनराम पुत्र किरताराम जाति जाट निवासी सारूंडा तहसील नोखा।
4. मु. रामी देवी पत्नी पेमाराम जाति जाट निवासी सारूंडा तहसील नोखा।

5. मु. झमकू देवी पत्नी फूसाराम जाति जाट निवासी सारूंडा तहसील नोखा।
6. मु. चम्पादेवी पत्नी लालचन्द जाति चौरड़िया निवासी तहसील नोखा।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 16–06–2015
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः–

1. श्री रणजीत सिंह बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री ओम चाण्डक, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 4 ता 6
3. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3
4. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 06–05–2015 व डिक्री दिनांक 16–06–2015 जिसके द्वारा विधि विरूद्व जाकर दावा डिक्री किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. दोनों अपीलों में निर्णय किये जाने योग्य वैधानिक प्रश्न समान है इसलिए इन दोनों अपीलों को एक ही कोमन निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। इस निर्णय की एक–एक प्रति उपरोक्त दोनों पत्रावलियों पर रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने दोनों अपीलों में कॉमन बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि खसरा नम्बर 319 तादादी 0.56 हेक्टर, खसरा नम्बर 3220 तादादी 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 321 तादादी 10.36 हेक्टर, खसरा नम्बर 3222 तादादी 0.58 हेक्टर, खसरा

नम्बर 4021/3175 तादादी 0.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 4311/3221 तादादी 9.4 हेक्टर कुल किता 6 तादादी 21.04 हेक्टर भूमि वाके रोही नोखा के ग्राम सारूण्डा जो लिखमीचन्द एवं किशनलाल के नाम से निहित थी तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त वादगत् भूमि लालचन्द, दीपचन्द, जुगराज पिसरान किशनलाल का 1/2 बहिस्सा बराबर व माणकचन्द, पूनमचन्द पिसरान लिखमीचन्द का 1/2 बहिस्सा बराबर बतौर खातेदार दर्ज की गई। तत्पश्चात् लालचन्द व दीपचन्द ने मोहनलाल व वादी दौलतराम को 30506 हेक्टर भूमि व रामीदेवी पत्नी पेमाराम को 1.753 हेक्टर व झमकू देवी पत्नी फूसाराम को 1.753 हेक्टर भूमि बैय कर दी। जिसके बाद उपरोक्त खातेदार के नाम जमाबन्दी में लालचन्द व दीपचन्द के स्थान पर दर्ज हो गया। इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट माणकचन्द एवं पूनमचन्द ने भी अपना हिस्सा वादी को विक्रय करने का इकरार कर लिया व साई पेटे राशि लेकर कब्जा करवा दिया। मौके पर अपीलांट का निरन्तर कब्जा आज दिनांक तक चला आ रहा है। जबकि रेस्पोडेन्ट माणकचन्द एवं पूनमचन्द बाद में अन्य व्यक्ति की पत्नी के नाम से बैयनामा कर दिया।

उन्होंने आगे बताया कि वादगत् भूमि की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिस पर खाता विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊन्डस अर्थात अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि के आधार पर किया जाना होता है। बंटवारें के मामलों में खाता विभाजन के लिए तहसीलदार स्वयं को मौके पर जाना अपरिहार्य है तथा साथ ही सभी पक्षकारों को नोटिस देते हुए पक्षकारों की मौजूदगी में नियम 18 से 21 की पालना करते हुए खाता विभाजन किया जाता है। जबकि प्रकरण में तहसीलदार ने अपने अधिकार पटवारी हल्का को डेलिगेट करते हुए वादगत् भूमि की मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी से तैयार करवाते हुए खाता विभाजन किया गया है। वादगत् भूमि के संबंध में कुछ प्रतिवादीगण व्यपारी वर्ग व राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है। जबकि वादी/अपीलांट एक गरीब किसान वर्ग का व्यक्ति है। अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादीगण के प्रभाव में आकर मनमाने तरीके से नक्शा एवं गलत प्रस्ताव तैयार करवाया गया है। उपरोक्त रिपोर्ट तैयार करते समय वादगत् भूमि के कब्जे काश्त का कतई ध्यान नहीं रखा गया है व प्रतिवादीगण को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से अच्छी किस्म की भूमि उनके हिस्से में अंकित कर दी गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि विभाजन के दावे में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना की जानी अपरिहार्य है। जबकि अदालत मातहत द्वारा इन तमाम नियमों को ताक पर रखते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो संधारण योग्य नहीं है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा फाईनल डिक्री पारित करते समय तहसीलदार नोखा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया था ना की पटवारी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। ऐसी स्थिति में प्रकरण में पटवारी द्वारा तैयार किये गये नक्शे के आधार पर जारी फाईनल डिक्री स्वतः ही अवैद्य है।

अपीलांट द्वारा उसके धारण की भूमि को काफी मेहनत व रूपया पैसा खर्च करके काबिल काश्त बनाया है तथा मौके पर पानी का कुण्ड आदि बनाया हुआ है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के धारण की भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के हिस्से में शुमार करते हुए खाता विभाजन किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपीलें स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जावे कि वे प्रकरण में पुनः पक्षकारों की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार करते हुए वादगत् भूमि का विभाजन करें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 6 ने प्रकरण में No instruction plead किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस किया गया है। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विभाजन से पूर्व नियमानुसार मौका रिपोर्ट रिपोर्ट तैयार करते हुए पक्षकारों के धारण की भूमि व अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार किये गये है व उसी अनुरूप फाईनल डिक्री जारी की गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा जारी फाईनल डिक्री पूर्णरूप से सही व मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार जारी की गई है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में वादी/अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि खसरा नम्बर 319 तादादी 0.56 हेक्टर, खसरा नम्बर 3220 तादादी 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 321 तादादी 10.36 हेक्टर, खसरा नम्बर 3222 तादादी 0.58 हेक्टर, खसरा नम्बर 4021/3175 तादादी 0.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 4311/3221 तादादी 9.4 हेक्टर कुल किता 6 तादादी 21.04 हेक्टर भूमि वाके रोही नोखा के ग्राम सारूण्डा जो वादीगण की खरीदशुदा भूमि है के बाबत् चिरनिषेधाज्ञा व वादी की भूमि के हद तक विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया। उक्त दावे में अदालत मातहत द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए प्रस्ताव प्राप्त किये गये व तदनुसार फाईनल डिक्री पारित की गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है।

(2) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि एक संयुक्त खातेदारी की भूमि रही है। वादी द्वारा मात्र खाता विभाजन व चिर निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहे जाने पर खाता विभाजन हेतु वर्तमान जमाबन्दी व शेष सह खातेदारान द्वारा भी खाता विभाजन हेतु अपनी सहमति प्रदान करने पर पक्षकारों के मध्य विवाद शेष नहीं रह जाने की स्थिति में सभी पक्षकारों की सहमति स्वरूप तहसीलदार नोखा को वादगत् भूमि के बाबत् पक्षकारों के हिस्से की भूमि के अनुसार व कब्जे काश्त के अनुसार खाता विभाजन के प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

(3) प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में वादगत् भूमि के बाबत् मौके पर कब्जे काश्त व पक्षकारों के हिस्से की भूमि के अनुसार मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तैयार किया गया। उक्त नजरी नक्शे व मौका रिपोर्ट के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि वादगत् भूमि का विभाजन का प्रस्ताव सही रूप से व सभी पक्षकारों को रास्ता उपलब्ध कराते हुए खाता विभाजन की रिपोर्ट तैयार की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का कथन की विभाजन से पूर्व उसे

सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

(4) विभाजन के मामलों में यह देखा जाना अनिवार्य होता है कि क्या वादगत् भूमि के विभाजन से पूर्व सभी पक्षकारों के कब्जे काश्त व उनके धारण की भूमि का ध्यान रखते हुए विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा तैयार किया गया है अथवा नहीं? प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि विभाजन का प्रस्ताव तैयार करते समय अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए व पक्षकारों को रास्ता उपलब्ध कराते हुए प्रस्ताव तैयार किये गये है व उसी के अनुरूप विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा प्राप्त होने पर प्रकरण में फाईनल डिक्री पारित की गई है।

(5) अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए सभी पक्षकारों को पाबन्द किया है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें। ऐसी स्थिति में अपीलांट अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार व्यथित है यह साबित करने में असफल रहे है। केवल मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर प्रकरण को पुनः अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अदालत मातहत द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री व तत्पश्चात् तहसीलदान नोखा से प्राप्त मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शें के आधार पर जारी फाईनल डिक्री विधि सम्मत है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. अतः उपरोक्तविवेचन के आधार पर अपीलांट की अपीलें खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 06—05—2015 व 16—06—2015 उपखण्ड अधिकारी, नोखा बहाल रखा जाते है।

8. निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर